



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2025/HQ/Admin/RTI-245

New Delhi: 11.04.2025

Sh. Dheeraj Kumar Sharma
S/o Late Sh. Subhash Chandra Sharma
Gram Sithrauli, Post-Hathras Junction
Tehsil and Janpad- Hathras
UP-204102
Mobile-9837352824

Subject: Providing information w.r.t. Original RTI Application received under the RTI Act 2005.

Reference: Your Appeal application dated 01.04.2025 received in this office on 04.04.2025.

You have directly made an appeal to this office that your RTI application dated 27.02.2025 has not been replied to. The appeal, while was sent to this office the RTI application was not sent. However, sensing that you might have made the application to Tundla the appeal was sent to that office for comments.

It is found that you have been provided with information vide Tundla's letter no. DFCCIL/Tundla/HR/RTI/2025 dated 26.03.2025. As usual and as habituated you, without verification of the factual position made an appeal and alleged that reply was not given.

Your appeal is now under consideration of the appellate authority and will be disposed of with same position.

DA: 07 sheets

(S.K. Panda)

AGM/Admn.(PIO)

Mob.-9717636811

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

Copies to:

CGMY Tundla : For info & response.

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयांचवा तल : सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110001 -

Regd. & Corporate Office: 5th Floor, Supreme Court Metro Station Building Complex, New Delhi-110001

Tel: 91 - 11+23454700, Fax No. 91-11-23454701 Web : www.dfccil.com, CIN :U60232DL2006GOI155068



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का एक उपक्रम)

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

स0-डीएफसीसीआईएल/टुण्डला/एच0आर0/आरटीआई/245


दिनांक- 09.04.2025

श्री एस0 के0 पांडा
उप महाप्रबंधक/एडमिन
जन सूचना अधिकारी/ डी.एफ.सी.सी.आई.एल.

विषय-सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा निवासी ग्राम सिथरौली पोस्ट-हाथरस जंक्शन जिला हाथरस का आवेदन दिनांक-01.04.2025.

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा निवासी ग्राम सिथरौली पोस्ट-हाथरस जंक्शन जिला हाथरस का आवेदन दिनांक-01.04.2025 द्वारा प्रतिवेदन किया है कि उसे उसके पूर्व आवेदन दिनांक -27.02.2025 का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में स्पष्ट है कि इनके आवेदन दिनांक- 27.02.2025 का उत्तर इस कार्यालय के पत्र संख्या डीएफसीसीआईएल/टुण्डला/एच0आर0/आरटीआई/2025 दिनांक 26.03.2025 द्वारा पूर्व में ही दिया जा चुका है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की प्रति संलग्न है। .

आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


09-4-2025

(प्रफुल्ल चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य महाप्रबंधक
डीएफसीसीआईएल
टुण्डला



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का एक उपाय)।

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

सं०-डीएफसीसीआईएल/दुण्डला/एच0आर0/आरटीआई/2025

दिनांक- 26.03.2025

श्री धीरज कुमार शर्मा
पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा
ग्राम-सिधरौली पोस्ट- हाथरस जंक्शन
जिला हाथरस उ०प्र०


विषय-सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मॉगी गई सूचना।

सन्दर्भ- आपका आवेदन दिनांक-27.02.2025.

सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत आपके आवेदन दिनांक- 27.02.2025 द्वारा मॉगी गई सूचना परियोजना प्रबंधक/ इंजी डी.एफ.सी.सी.आई.एल दुण्डला के पत्र संख्या IMSD/Y-25/M-03/RTI Letter दिनांक- 25.03.2025 द्वारा दी जा रही है जिसकी प्रति संलग्न है।

आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न- यथोपरि


26-03-2025
(प्रफुल्ल चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य महाप्रबंधक
डीएफसीसीआईएल
दुण्डला
26/03/25



डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
(DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED)
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

No. IMSD/Y-25/M-03/RTI/Letter

Dated-25.03.2025

सेवा में,

कनिष्ठ परियोजना प्रबन्धक,
मानव संसाधन
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, टुण्डला।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सही एवं पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा का आवेदन दिनांक-27.02.2025.

उपरोक्त संदर्भित आवेदन के विषय में सूचित करना है कि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड कंपनी द्वारा विशेष रेलवे परियोजना के कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत जमीन अधिग्रहण किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

उपरोक्त संदर्भ में ऐसा कोई करार डी.एफ.सी.सी.आई.एल. द्वारा किसानों के साथ नहीं किया गया है और ना ही ऐसी कोई जानकारी कार्यालय में उपलब्ध है। अतः आवेदक से अनुरोध है कि वह अपना प्रभावित खेत संख्या उल्लेखित करें, जिससे आवेदक से संबंधित उपलब्ध जानकारी दी जा सके।

तदनुसार वांछित सूचना आपके आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(विवेक सोनकिया)

परियोजना प्रबन्धक / इंजी0
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., न्यू टुण्डला।

प्रतिलिपि- मुख्य महाप्रबंधक टुण्डला को सूचनार्थ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

21/7
100 3
REGD. NO. D. L.-3300499

भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रामाण्य से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 1435]

No. 1435]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2010/असंख्य 25, 1932
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2010/WASADHA 25, 1932

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2010

का.अ. 1689(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना का.अ. 2169(अ), तारीख 24 अगस्त, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 20क अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के जिला महामायानगर में विरोध रेल परियोजना पूर्वी डेही-कटेडा प्रोटेक्टोरी क्षेत्र के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र, दैनिक आगरा में तारीख 20 सितम्बर, 2009 और अमर उजाला में तारीख 20 सितम्बर, 2009 को प्रकाशित किया गया था;

और, सहायन ऑफिस प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया तथा उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया और तदनुसार आदेश प्रारित किए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (1) के अन्वये, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (2) के अनुसार, यह घोषित करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लिंगों से मुक्त होकर अनन्य रूप से केंद्रीय सरकार में निर्दिष्ट हो जाएगी।

क्रम सं.	तातुका का नाम	गाँव का नाम	गाटा / सार्वजनिक संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिकृत भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सूचकांक / शिवालय धर्मियों का नाम
			निजी	कृषि	372	0.246	श्रीराम कुमार पुत्र रामराम लाल शर्मा कुमार पुत्र अन्नपति, अशोक कुमार, अशोक कुमार, अशोक कुमार पुत्रगण काली मठ, मधुपुर मठ, रामराम पुत्रगण हरदोई मठ, अशोक सिंह, श्रीराम कुमार, विवेकानंद पुत्रगण कुलदेव, अशोकजी पत्नी एवं पुत्रगण, रघुवीर प्रसाद पुत्र कुलदेव
			निजी	कृषि	376	0.403	श्रीलाल, भूलक्षम पुत्रगण रामराम
			निजी	कृषि	378	0.207	श्रीराम कुमार न. 10 एवं, शिवराम कुमार न. 12 एवं पुत्रगण श्रीरामचंद्र शर्मा मठ मुकुंदी देवी पत्नी एवं श्रीरामचंद्र, हरदोई कुमार, अशोक कुमार, हरिदोई, अशोक कुमार पुत्रगण राम रघुवीर
			निजी	कृषि	378	0.026	किशोरी रमन देवका, पुत्र देवा सिंह, रामचंद्रकांडी, बागवान सिंह, शैलीलाल, विवेक कुमार पुत्रगण रामदेव, हरदोई पत्नी रामदेव, श्रीराम पुत्र मुकुंद, मनमोहन पुत्र केनसुख, नीरज कुमारी पत्नी सरयवत सिंह
	5 जसालपुर		निजी	कृषि	528	0.060	शिवराम पुत्र अशोक
			निजी	कृषि	568	0.438	शिवराम पुत्र अशोक
			निजी	कृषि	569	0.188	नाथयान हरी पुत्र रामराम
			निजी	कृषि	575	0.260	हरदोई पत्नी एवं रामराम
			निजी	कृषि	574	0.029	हरदोई पत्नी एवं रामराम, श्रीराम, रामराम हरी पुत्रगण रामराम
			निजी	कृषि	575	0.316	श्रीराम पुत्र रामराम
			निजी	कृषि	607	0.020	श्रीरामचंद्र सिंह, जगदीश सिंह पुत्रगण रघुवीर सिंह
			निजी	कृषि	610	0.507	अशोक कुमार पुत्रगण गिरधराम गुप्ता, शशी देवी पत्नी राम रघुवीर
			निजी	कृषि	614	0.050	श्रीरामचंद्र सिंह, जगदीश सिंह पुत्रगण रघुवीर सिंह
			निजी	कृषि	617	0.009	अशोक पुत्र रामराम
			निजी	कृषि	618	0.009	अशोक पुत्र रामराम
			निजी	कृषि	619	0.016	शुभलाल पुत्र रामराम
			निजी	कृषि	620	0.012	गजेश का पुत्र रामराम
			निजी	कृषि	621	0.016	शिवराम पुत्र रामराम
			निजी	कृषि	622	0.015	जगदीश चंद्र, अशोक का, अशोक का न. 15 एवं पुत्रगण नरेंद्र का शर्मा, अशोक मुकुंद
			निजी	कृषि	623	0.012	जगदीशचंद्र, जगदीशचंद्र पुत्रगण शंकरा, शंकरा पत्नी एवं शंकरा
			निजी	कृषि	630	0.037	हरदोई पुत्र शिवराम
			निजी	कृषि	630	0.031	श्रीराम पुत्र रामराम
			निजी	कृषि	640	0.040	शिवराम पुत्र रामराम
			निजी	कृषि	641	0.083	रघु, मुकुंद कुमार, शिवराम कुमार पुत्रगण रामराम, रामराम देवी पत्नी एवं रामराम
			निजी	कृषि	642	0.062	शिवराम पत्नी राम रघुवीर
			निजी	कृषि	643	0.036	शिवराम पुत्र शिवराम
			निजी	कृषि	644	0.230	शुभलाल सिंह, अशोक, जगदीश सिंह पुत्रगण मुकुंद लाल
			निजी	कृषि	650	0.104	रघुवीर पुत्र शिवराम



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1013]

No. 1013]

नई दिल्ली सायबर, मई 6, 2013/वशाख 16, 1935
NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2013/VAISAKHA 16, 1935

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2013

का.आ. 1156(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 31 अक्टूबर, 2012 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना का.आ. 2679 (अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2012 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के महामायानगर जिले में विशेष रेल प्रयोजनों, इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुसंधान, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन तारीख 14 सितंबर, 2012 के दैनिक जागरण और अमर उजाला दैनिक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था ;

और, कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20 उ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, रक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, रक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 उ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपर्युक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ;

और, यह कि केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20 उ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर इससे उपायय अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी निस्सम्पत्तों के अन्तर्गत पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार में विहित हो जाएगी।

				विद्यादेवी पत्नी १०० रामराम, पुंजेश कुमार, राजेश कुमार, हरीमोहन, उमेशचन्द्र पुत्रगण मूलधन.	
	निजी	कृषि	423	0.1060	कुसुमादेवी पत्नी १०० पूरनचन्द्र किशनलाल, गीरेन्द्रपाल, मन्दापाल पुत्रगण हातीलाल, सुभाषचन्द्र पुत्र पारेलाल, दिलीप कुमार, राजीव कुमार, अजय कुमार, विनय कुमार पुत्रगण रामलाल, विद्यादेवी पत्नी १०० रामराम, पुंजेश कुमार, राजेश कुमार, हरीमोहन, उमेशचन्द्र पुत्रगण मूलधन.
	निजी	कृषि	436	0.0170	गजेन्द्र, गोकर्ण पुत्रगण महावीर, सहायनी देवी पत्नी १०० महावीर
	निजी	कृषि	462	0.1166	हाकिम सिंह पुत्र गान्धार सिंह
	निजी	कृषि	463	0.1810	मनोज कुमार, रामाकुण्ड नाभा ० उम्र 10 साल १०० मुन्नीदेवी माता पुत्रगण सत्यप्रकाश
	निजी	कृषि	464	0.0170	सत्यप्रकाश पुत्र मुकुट सिंह
	निजी	कृषि	505	0.0270	मुनेश कुमार पुत्र रामसवरूप
	निजी	कृषि	506	0.0140	रामरवरूप पुत्र तोताराम
	निजी	कृषि	507	0.1600	महावीरप्रसाद पुत्र तोताराम
	निजी	कृषि	502	0.0150	मुन्नीदेवी पत्नी राजवीर सिंह
	निजी	कृषि	508	0.0510	रामेश्वर सिंह, धनसिंह, शिशुपाल सिंह पुत्रगण ठाकुरदास
	निजी	कृषि	509	0.0720	मूलचन्द्र पुत्र रेवती सिंह
	निजी	कृषि	513	0.3610	रामप्रकाश शर्मा पुत्र नन्दकिशोर
	निजी	कृषि	364	0.0110	सर्वेश कुमार पुत्र पन्द्रपाल
सिधरोली	निजी	कृषि	132	0.0040	डोरीलाल, राजाराम, रतनलाल पुत्रगण भोकम्बर
	निजी	कृषि	135	0.0100	भगवतीप्रसाद, भागीरथ पुत्रगण प्यारलाल, नन्नीदेवी पत्नी १०० प्यारलाल
	निजी	कृषि	151मि	0.0850	प्रकाशवतीदेवी पत्नी राजेन्द्रपाल सिंह, भूपेन्द्र, योगेश, पुत्रगण राजेन्द्रपाल सिंह, सोनपाल पुत्र हरचरनलाल, ऋषि कुमार, संजय कुमार पुत्रगण नथी, भगवतीप्रसाद, भागीरथ पुत्रगण प्यारलाल, नन्नीदेवी पत्नी १०० प्यारलाल, मुकेश कुमार पुत्र सोनपाल
	निजी	कृषि	372	0.0130	प्रमोद कुमार पुत्र रामचरनलाल, महावीरप्रसाद व रामारमण पुत्रगण हरचरनलाल, रघुवीरप्रसाद पुत्र सुखराम, सर्वेश कुमार पुत्र मन्दापालए अर्जुन सिंह, धीरजकुमार, विलोचन पुत्रगण सुभाष चन्द्र, कलावती पत्नी सुभाषचन्द्र
	निजी	कृषि	376	0.0570	धर्मेन्द्र कुमार, नीतेश कुमार पुत्रगण महेशचन्द्र गुडडीदेवी पत्नी १०० महेशचन्द्र, हरेश कुमार, प्रदीप कुमार, हरिओम, रविन्द्र, कुमार पुत्रगण रामसवरूप
	निजी	कृषि	378	0.2750	नीरजकुमारी पत्नी सायबान सिंह, रामखिलान, डोरीलाल, भगवान सिंह, धीरेश कुमार पुत्रगण रामदयाल, हरदेवी पत्नी हरदयाल, सोनपाल पुत्र सुखराम, गनेशी लाल पुत्र नैनसुख, प्रवीण कुमार, पवन कुमार पुत्रगण किशोररमण, सरोजदेवी पत्नी १०० किशोररमण
	निजी	कृषि	373/1	0.1420	देवेन्द्र कुमार पुत्र केशवदेव
	निजी	कृषि	373/2	0.0770	हरदत्त पुत्र केशवदेव
	निजी	कृषि	374	0.0200	धान सिंह पुत्र बाबूलाल, प्रेमवती पत्नी धान सिंह
	निजी	कृषि	377	0.0300	धान सिंह पुत्र बाबूलाल, प्रेमवती पत्नी धान सिंह
	निजी	कृषि	142	0.3400	योगेन्द्रसिंह, विजेन्द्रपाल सिंह पुत्रगण भोकम्बर, अशाई देवी पत्नी १०० भोकम्बर, अर्जुनकुमार, धीरज कुमार, विलोचन कुमार पुत्रगण सुभाषचन्द्र, मनोज कुमार, भानू नाभा ० उम्र कमरा 14 व 8 वर्ष १०० विमलेश नाभा स्वयं पुत्रगण रविन्द्रपाल सिंह, विमलेश देवी पत्नी १०० रविन्द्र पाल सिंह, रामेशचन्द्र, महेशचन्द्र, हेम सिंह, राकेश कुमार सिंह पुत्रगण लोकमण, इमरली देवी पत्नी १०० लोकमण
	निजी	कृषि	133	0.0010	भगवतीप्रसाद, भागीरथ पुत्रगण प्यारलाल, नन्नीदेवी पत्नी १०० प्यारलाल
प्रशामपुर राठ महाजादपुर	निजी	कृषि	568	0.0800	शिषाशकर पुत्र डोरीलाल
	निजी	कृषि	569	0.1220	नारायण हरी पुत्र धनरथाम
	निजी	कृषि	570	0.0400	भीमोपाल व नारायणहरी पुत्रगण धनरथाम